



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ.4(86)नामान्तरण/विधि/पंरा/2018/603

जयपुर दिनांक: 9.5.2018

आज्ञा

वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों का मूल आवंटी से किसी अन्य को पट्टा हस्तान्तरण अथवा नामान्तरण किये जाने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। पट्टों के हस्तान्तरण/नामान्तरण (Mutation) किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड पंचायतों के पास सुव्यवस्थित तरीके से संधारित हो। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त पंचायतें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम, 173.G में वर्णित Form 'LIII' में दिये गये प्रारूप में अब तक पंचायत द्वारा जारी किये गये समस्त पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित किया जाना सुनिश्चित कर लें (प्रपत्र का प्रारूप संलग्न उपलब्ध है)।

ग्राम पंचायत द्वारा जारी आबादी भूमि के पट्टों के हस्तान्तरण/नामान्तरण (Mutation) किये जाने के लिए आवेदक से प्राप्त किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ एवं शुल्क/दर निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं:-

क— हस्तान्तरण हेतु आवेदक से प्राप्त किये जाने वाले वांछित दस्तावेज़ का विवरण:-

क्र.0सं0	हस्तान्तरण का प्रकार	हस्तान्तरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़
1.	उत्तराधिकार/परिवार के सदस्यों को हस्तान्तरण 1. समस्त उत्तराधिकारीगण 2. किसी एक के नाम	1. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र 2. शपथ—पत्र 10 रु. के नॉन ज्यूडिशियल रिटायर पेपर पर 3. शेष सदस्यों का पजीकृत हक ल्यागपत्र
2.	वसीयतनामा से हस्तान्तरण 1. पारिवारिक सदस्य 2. अन्य व्यक्ति	1. रामाचार पत्रों में अनापत्ति हेतु विज्ञाप्ति जारी करने के उपरान्त मृत्यु प्रमाणपत्र (Local circulation of News Paper)

3.	पंजीकृत हक त्याग से हस्तान्तरण	भूमि जहां स्थित है, उसी पंजीकृत कार्यालय में पंजीकृत हक त्याग पत्र मान्य (Registered Document)
4.	पंजीकृत विक्रय पत्र से हस्तान्तरण	विक्रय पत्र पंजीकृत होना चाहिये
5.	पंजीकृत गिफ्ट डीड (बख्शीशनामा) से हस्तान्तरण 1. पारिवारिक सदस्य 2. अन्य व्यक्ति	1. पंजीकृत गिफ्ट डीड (बख्शीशनामा) 2. पारिवारिक सदस्य

ख— शुल्क/दर

क्र०सं०	मूल आवंटन का प्रकार	शुल्क/दर
1.	पुराने गृहों का विनियमितिकरण	1. नामान्तरण परिवार के सदस्य को किये जाने पर इसके लिए नामान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क रूपये 100/- लिया जायेगा। 2. परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य को नामान्तरण किये जाने पर, नामान्तरण शुल्क डीएलसी दर (आवासीय अथवा व्यवसायिक जो लागू हो) का 5 प्रतिशत लिया जायेगा।
2.	निःशुल्क आंवटित भूखण्ड	1. यह नामान्तरण परिवार के सदस्य को ही किया जा सकेगा। 2. इसके लिए नामान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क रूपये 100/- लिया जायेगा।
3.	रियायती दर पर आवंटन	1. नामान्तरण परिवार के सदस्य को किये जाने पर इसके लिए नामान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क रूपये 100/- लिया जायेगा। 2. परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य को नामान्तरण किये जाने पर, नामान्तरण शुल्क डीएलसी दर (आवासीय अथवा व्यवसायिक जो लागू हो) का 5 प्रतिशत लिया जायेगा।
4.	नीलामी द्वारा आवंटित	1. नामान्तरण परिवार के सदस्य को किये जाने पर इसके लिए नामान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क

9/11/18
- 9/11/18

		रुपये 200/- लिया जायेगा। 2. परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य को नामान्तरण किये जाने पर, नामान्तरण शुल्क डीएलसी दर (आवासीय अथवा व्यवसायिक जो लागू हो) का 2 प्रतिशत लिया जायेगा।
5.	पूर्ण शुल्क के साथ आवंटित	1. नामान्तरण परिवार के सदस्य को किये जाने पर इसके लिए नामान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क रुपये 100/- लिया जायेगा। 2. परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य को नामान्तरण किये जाने पर, नामान्तरण शुल्क डीएलसी दर (आवासीय अथवा व्यवसायिक जो लागू हो) का 2 प्रतिशत लिया जायेगा।

हस्तान्तरण/नामान्तरण (Mutation) किये जाने के लिए उपरोक्तानुसार वर्णित दस्तावेजों से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ग्राम पंचायत की बैठक में सम्बन्धित आवेदक के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण (Mutation) किये जाने का प्रस्ताव रखा जायेगा तथा प्रस्ताव पारित होने पर निर्धारित शुल्क/दर जमा कर सम्बन्धित के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण (Mutation) किया जा सकेगा।



(कुंजी लालचंद पटेल)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. ज़िला कलेक्टर, समस्त।
6. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी, ज़िला परिषद, समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।



उप शासन सचिव(विधि)

Form 'LIII'
(See rule 173-G)

Name of the Panchayat.....

Register of abadi land

Sr. No.	Ward Number	House/Plot No. or location of plot	Boundary marks (with size in sqr. mtrs.)	Occupied by as lessee or otherwise	Other information

अधिकारी का नाम — ACP ब्रह्मपुरा
 अधिकारी का दस्तावेज़ और इन वेबसाईट
 पर उपलब्ध है।
 दस्तावेज़ को
 शिल्पी द्वारा
 (वी. डी. कृपलानी) ✓
 अति. प्रशासनिक अधिकारी